रामेश्वरी बनाम महादेव मु.न. 65/20

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.5.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 65 / 2020

1 रामेश्वरी देवी पुत्री प्रभु पोत्री भूरा आयु 55 साल जाति गुर्जर निवासिनी ग्राम सलेदीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 महादेव पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासिनी ग्राम सलेदीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 पटवारी हल्का केरपुरा।
3 सब रजिस्ट्रार खण्डेला।
4 भूमिधारी तहसीलदार तहसील खण्डेला।

रेस्पोडेन्टस

आवेदन अ.धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी लॉ।
अपील विरूद्ध निर्णय विचारण न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला श्री रणजीत सिंह आरएएस द्वारा दिनांकित 03.03.2020 मुकदमा संख्या 247 / 2015 बउनवानी रामेश्वरी बनाम महादेव आदि में पारित कर दावा वादिया खारिज किया गया है को अपास्त कर दावा वादिया वद तनकियात कायम कर साक्ष्य लेखबद्ध कर मेरिट्स पर निर्णित किए जाने बाबत।

उपस्थिति :

1. श्री अमरचन्द पोरिक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दकिशोर दानोदिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

सदिनांक:– 15/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 247/2015 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक किता दावा दिनांक 02.11.2015 को अपनी पुश्तैनी एवं पैतृक कब्जेशुदा काश्त की जमीन कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 324/575 जिसके नये खसरा नम्बर 388 रकबा 0.188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.09 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने व स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत किया। इस वाद पत्र के साथ कदीमी राजस्व रिकार्ड जिसमें अपीलान्ट/वादिया के दादा भूरा से लगान की पनेल्टी वसूल संबंधी व कृषक के तौर पर नाम अंकन है का विवरण भी प्रस्तुत किया। इस विवादित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट/वादिया का नाम दर्ज करवाने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने व अपीलान्ट को कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करने, उसे बेदखल नहीं करने के लिए पाबन्द किए जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट/वादिया द्वारा प्रस्तुत दावे का जवाब दिनांक 11.02.2020 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महादेव द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात प्रकरण में दिनांक 17.02.2020, 24.02.2020, 25.02.2020 के बाद दिनांक 03.03.2020 की तारीख पेशियां तय की गई। उपरोक्त तारीख पेशियों पर बकिया प्रतिवादीगण का सम्मन तलवाना प्रस्तुत किया जाना था। दिनांक 03.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की तलबी बन्द कर दी गई तथा मामले में आगामी तारीख पेशी बाद में बताए जाने का कहा गया। अपीलान्ट द्वारा मामले में आगामी तारीख एवं पैशी मालुम करने के लिए 3–4 मर्तबा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अदालत में जाकर पूछताछ की गई तो कहा गया कि पत्रावली एसडीओ साहब के पास है बाद में पता करना। अपीलान्ट/वादिया द्वारा दिनांक 06.08.2020 को प्रकरण की आगामी तारीख पेशी में जानकारी हासिल की तो उसे व उसके अधिवक्ता को बताया गया कि इस प्रकरण की तो दिनांक 03.03.2020 को ही निर्णित करते हुये दावा खारिज कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा चुनौतीग्रस्त आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर कोई विवाधक/तनकीयात कायम नहीं की गई ना ही साक्ष्य फरीकैन में मुकदमें में कोई तारीख पेशी निश्चित की गई बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे को ही आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया। जो कि जाब्ता दीवानी के आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये मनमाने तरीके से पारित किया गया है। विवादग्रस्त कृषि भूमियों पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा एवं काश्त बरकरार है। उसे विवादित भूमियों से बेदखल करने संबन्धी राज्य सरकार द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलान्ट का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त मौके पर यथावत है। विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 06.08.2020 को हासिल हुई। जिसके विरूद्ध अपील कानूनन मियाद सादर प्रस्तुत है। अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक नहीं है। विवादित भूमियां वादिया के दादा भूरा पुत्र दुला गुर्जर की खातेदारी में कभी भी दर्ज नहीं रही है। विवादित भूमि दिनांक 25.06.1999 के आदेश से कब्जे काश्त के आधार पर खसरा नम्बर 534 रकबा 0.68 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 को नियमन से प्राप्त हुई है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में वाद सन 2015 में प्रस्तुत किया गया है। 1999 से 2015 के मध्य 16 वर्ष की देरी है। स्पष्ट है कि वादिया अपीलान्ट द्वारा मियाद बाहर वाद प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि पर वादिया अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपील मियाद बाहर है। मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि पैतृक नहीं है। विवादित भूमियां वादिया के दादा भूरा पुत्र दुला गुर्जर की खातेदारी में कभी भी दर्ज नहीं रही है। विवादित भूमि दिनांक 25.06.1999 के आदेश से कब्जे काश्त के आधार पर खसरा नम्बर 534 रकबा 0.68 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 को नियमन से प्राप्त हुई है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में वाद सन 2015 में प्रस्तुत किया गया है। 1999 से 2015 के मध्य 16 वर्ष की देरी है। स्पष्ट है कि वादिया अपीलान्ट द्वारा मियाद बाहर वाद प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि पर वादिया अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार आर.ए.एस.)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर